न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 291/2018

आरसीएमएस नं. 2018/00407

1. ताराचंद पुत्र खिराज जाति जाट पेशा खाती साकिन प्रेमनगर रावतसर तहसील रावसतर जिला हनुमानगढ।
2. अर्जन देव पुत्र खिराज जाति जाट पेशा खाती साकिन प्रेमनगर रावतसर तहसील रावसतर जिला हनुमानगढ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. अलीशेर पुत्र खुशी मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. रिमजान खां पुत्र अमीन खां जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. मोहम्मद सदीक पुत्र उमरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. जन्नत पत्नी सतार खां पुत्र खुशी मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
5. हसन खां पुत्र सतार खां जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
6. हुसैन खां पुत्र सतार खां जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
7. मदीना पुत्री सतार खां जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
8. नगीना पुत्री सतार खां जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

9. सैना पुत्री सतार खां जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

10. शाहरूख खां पुत्र सिकन्दर जाति कुम्हार मुसलमान निवासी दूरजाना तसहील नोहर नाबालिग जरिये वली कुदरती पिता सिकन्दर पुत्र दलबीर जाति कुम्हार मुसलमान निवासी दूरजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

11. जावेद खां पुत्र सिकन्दर जाति कुम्हार मुसलमान निवासी दूरजाना तसहील नोहर नाबालिग जरिये वली कुदरती पिता सिकन्दर पुत्र दलबीर जाति कुम्हार मुसलमान निवासी दूरजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

12. अजीज खां पुत्र खुशी मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

13. जाकिर हुसैन पुत्र खुशी मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

14. यूनस अली पुत्र अमीन खां जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

15. यूनवस खां पुत्र उमरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

16. महबूब खां पुत्र उमरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

17. सलामूखां पुत्र उमरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

18. रहमत अली पुत्र उमरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

19. रसीदा पुत्र उमरदीन मंदबुद्धि जरिये वली कुदरती माता खुद रेशमा पत्नी उमरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

20. साहबदीन पुत्र मेहरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।–फौत

20/1 अमतून पुत्र साहबदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

20/2 जूबेना पुत्री साहबदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

20/3 नसीरा पुत्री साहबदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

20/4 बसीरा पुत्री साहबदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

20/5 अब्दुल हक पुत्र साहबदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

20/6 रसीदा पुत्री साहबदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

20/7 सोकीन पुत्र साहबदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

21. जमानदीन पुत्र मेहरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।–फौत

21/1 मोसम अली पुत्र जमालदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

21/2 रोशन पुत्र जमालदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

21/2/1 राबीया पत्नी रोशन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

22/2/2 जरीना बानो पुत्री रोशन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

22/2/3 मदीना पुत्री रोशन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

21/2/4 जावेद हुसैन पुत्र रोशन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

21/3 याकूब खां पुत्र जमाल जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

21/4 अनारा पुत्री जमालदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

21/5 अंगूरा पुत्र जमालदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

21/6 अस्कर अली पुत्र जमालदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

21/7 रजीरा बानो पुत्र जमालदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 02.07.2018

द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

प्र0 सं0 (21)–22/2018 अनवान अलीशेर आदि बनाम जन्नत आदि

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 ता 3

निर्णय दिनांक 8.9.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 ने चक 24 आर डब्ल्यू डी (ए) के प. नं. 226/425 व प0 नं0 226/426 प्रत्येक प. नं. के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में स्वीकृतशुदा रास्ता को निरस्त करने व उक्त रास्ता की भूमि का संबंधित पक्षकारान के खाते में दर्ज करने एवं प0 नं0 225/425 किला नं. 1 की 0.026 है0, किला नं. 10 में 0.025 है, किला नं. 11 में 0.025 है0, किला नं. 20 में 0.025 है0, किला नं. 21 में 0.025 है0, प. नं. 225/226 किला नं. 1 की 0.026 है0, किला नं. 10 की 0.025 है0, किला नं. 11 की 0.025 है0, किला नं. 20 की 0.025 है0, किला नं. 21 की 0.025 है0, पश्चिमी पास में उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन पत्र राजस्थान उप0 सामान्य शर्तें 1955 की शर्त संख्या 8/2/ के तहत प्रस्तुत किया जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 ता 18 की सहमति

Lsio

राजस्व अपील प्राधिकारी

हनुमानगढ़

देने के बाद अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रश्गनत कदीमी स्वीकृतशुदा रास्ता को निरस्त किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट पूर्व में स्वीकृतशुदा रास्ता का कभी उपयोग नहीं होने का आधार लेते हुए रेस्पोडेण्ट संख्या 4 ता 21 की सहमति हेाना दर्शित करते हुए रास्ता निरस्त किया है। पक्षकारान ने सिर्फ अपनी सुविधा हेतु रास्ता को 8 दिवस के भीतर निरस्त करवाया है। जबकि राज0 उप0 सामान्य शर्तें 1955 की शर्त संख्या 8(2) में काश्तकारान को अपनी भूमि में प्रवेश करने हेतु रास्ता की उपयेागिता ना होने के आधार पर रास्ता निरस्ती एवं गैरमुमकिन रास्ता को काश्तकार की भूमि में बतौर खातेदार दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। उपखण्ड अधिकारी को ऐसा करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। उपनिवेशन क्षेत्र में रास्ता उप0 किला बंदी नियम 1955 के नियम 7 के तहत स्थापित किये जाते है एवं धारा 16 राज0 काश्तकारी अधिनिमय के तहत सार्वजनिक उपयेाग की भूमि पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। अपीलाण्ट एवं उसके पिता की भी चक 24 आरडब्ल्यू के डी में 6.200 है0 भूमि है एवं अपीलाण्ट अर्जनराम ने पूर्व में प्रश्नगत रास्ता को खुलवाये जाने हेतु आवेदन पत्र दिया था जिसमें दिनांक 29.06.2018 को मंजूरशुदा रास्ता खुलवाये जाने आदेश भी दिये गये थे इसी दौरान रेस्पोडेण्ट ने अपीलाण्ट को पक्षकार बनाये बिना प्रश्नगत रास्ता को निरस्त करवा दिया, निरस्त किया गया रास्ता गैरमुमकिन रास्ता है जो सामान्यजन के उपयोग उपभोग की सम्पति है जिसका मालिक राज्य सरकार है। सार्वजनिक उपयोग व उपभोग में किसी भी प्रकार से कोई बाधा अथवा अड़चन पैदा की जाती है तो आमजन इससे व्यक्ति व्यक्ति है एवं बतौर व्यथित पक्षकार बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत की है। धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं अपील स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2016 आरआरटी पेज 93, 1992 आरआरडी पेज 496, 2017 डीएनजे पेज 1, 2013 आरआरटी पेज 299, 2016 आरआरटी पेज 649, 1992 आरआरडी पेज 17, 1994 आरआरडी पेज 215 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया रेस्पोडेण्ट ने अपीलाण्ट की भूमि में से रास्ता स्वीकृत नहीं करवाया है। प्रश्नगत रास्ता जो निरस्त किया गया है वह उपयोग में नहीं आ रहा था। उपयोग में नहीं आने के कारण उसे गैर मुमकिन से मुमकिन किया गया है। अपीलाण्ट का प्रश्नगत रास्ते में कोई हित नहीं है। आरएलडब्ल्य 2017 पेज 853 के अनुसार नया रास्ता मंजूर करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को है। पुराने रास्ते को निरस्त कर नये रास्ते को सुविधा अनुसार स्वीकृत करने में किसी पक्ष का कोई नुकसान नहीं है। हमने रास्ते की भूमि के बदले में भूमि दी है। अपीलाण्ट किसी भी प्रकार से पीड़ित एवं प्रभावित पक्षकार नहीं है। प्रश्नगत आदेश से वह किस प्रकार से प्रभावित पक्षकार है यह नही बताया है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2020 (1) आरआरटी पेज 204, 2017 (2) आरएलडब्ल्यू पेज 853, 2019 (2) आरआरटी पेज 860, 1994 आरआरडी पेज 208 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट के प्रार्थना–पत्र पर पूर्व में चल रहे कदीमी रास्ते को निरस्त कर नया रास्ता उसी किला नं. एवं प. नं. में स्वीकृत किया है। जबकि अपीलाण्ट का कथन है कि जो रास्ता निरस्त करवाया गया उसे खुलवाने के लिए उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायलाय में आवेदन पत्र दिया था जिसमें दिनांक 29.06.2018 रास्ता खुलवाने के आदेश दिये गये थे। इस बीच रेस्पेडेण्ट सं0 1 ता 3 ने अपीलाण्ट को पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रश्नगत रास्ता को निरस्त करवा दिया निरस्त किया गया रास्ता गैरमुमकिन रास्ता है जो सामान्यजन के उपयोग उपभोग की सम्पति है। चूंकि अपीलाण्ट का रास्ता खुलवाने का प्रार्थना–पत्र में रास्ता खुलवाने के आदेश दिये गये थे लेकिन अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रश्नगत रास्ता को ही निरस्त कर दिया है। इसलिए अपीलाण्ट एक प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है, जिसे सुना नहीं गया है उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित है। अतः अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.07.2018 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8.9.21 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करतारसिंह पुनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़